भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †5367

उत्तर देने की तारीख- 03/04/2025

जन जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

†5367. श्री बस्तीपति नागराजूः

श्री बी. के. पार्थसारथी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता योजना (एससीए से टीएसएस) 'के अंतर्गत वर्षवार और राज्यवार कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और अनुमोदित किए गए है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत वर्षवार और राज्यवार कितनी निधि मांगी गई और स्वीकृत की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त परियोजनाओं हेतु कितनी निधि स्वीकृत और संवि तरित की गई तथा आंध्र प्रदेश के लिए तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनुमोदित परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा आंध्र प्रदेश के संदर्भ में लाभार्थियों की संख्या कितनी है और इस संबंध में प्राप्त वास्तविक लक्ष्यों का परियोजनावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): 2021-22 के दौरान, सरकार ने पहले की 'टीएसएस को एससीए' योजना को नया रूप दिया और 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)' शुरू की। वर्ष 2020-21 के दौरान जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) योजना के तहत स्वीकृत और जारी की गई राज्य-वार निधियों का विवरण **अनुलग्नक I** में है। पीएमएएजीवाई की योजना जिसे 2021-22 से 2025-26 के दौरान क्रियान्वित किया गया था, का उद्देश्य कम से कम 50% जनजातीय आबादी वाले 36,428 गांवों का एकीकृत विकास करना था और इसमें आंध्र प्रदेश के 517 जनजातीय गांव शामिल थे। पीएमएएजीवाई योजना के तहत 2021-22 से 2024-25 के दौरान राज्यों को जारी की गई धनराशि का विवरण **अनुलग्नक II** में है, हालाँकि चूँकि आंध्र प्रदेश ने योजना के तहत ग्राम विकास योजनाएँ (वीडीपी) प्रस्तुत नहीं की थीं, इसलिए धनराशि जारी नहीं की जा सकी। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वास्तविक प्रगति की निगरानी और केंद्र सरकार को उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए योजना दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये हैं।

(घ): योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य जनजातीय विभाग नोडल विभाग होने के नाते विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति का समन्वय करता है और सुपरिभाषित संकेतकों के साथ निगरानी करता है, जिसमें निधि आवंटन, निर्मुक्ति और व्यय, सेवा प्रदायगी मानकों के साथ-साथ परिणाम शामिल होते हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान टीएसएस को एससीए की योजना के तहत आंध्र प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण **अनुलग्नक III** में दिया गया है।

अनुलग्नक I

"जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता" के संबंध में श्री बस्तीपति नागराजू और श्री बी के पार्थसारथी द्वारा उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †5367 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक I

टीएसएस को एससीए के तहत 2020-21 के दौरान राज्य सरकारों को स्वीकृत और जारी की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य	पीएसी द्वारा स्वीकृत निधियां	कुल निर्मुक्ति
1	आंध्र प्रदेश	4954.96	4954.96
2	अरुणाचल प्रदेश	7015.50	7015.50
3	असम	4578.76	4578.76
4	बिहार	2121.00	994.00
5	छत्तीसगढ़	8769.06	8769.06
6	गोवा	724.26	724.26
7	गुजरात	10843.85	10786.40
8	हिमाचल प्रदेश	1367.00	1367.00
9	जे एंड के	-	0.00
10	झारखंड	8712.00	7049.64
11	कर्नाटक	3826.15	0.00
12	केरल	800.00	459.15
13	मध्य प्रदेश	15216.03	0.00
14	महाराष्ट्र	5034.22	0.00
15	मणिपुर	1426.00	0.00
16	मेघालय	2604.00	328.25
17	मिजोरम	1236.22	1236.22
18	नगालैंड	1944.64	2846.14
19	ओडिशा	9962.00	9010.42
20	राजस्थान	8662.66	8662.66
21	सिक्किम	800.00	0.00
22	तमिलनाडु	503.80	377.47
23	तेलंगाना	4191.00	4191.00
24	त्रिपुरा	1173.3	1173.30
25	उत्तराखंड	800.00	757.80
26	उत्तर प्रदेश	751.47	508.83
27	पश्चिम बंगाल	3746.00	3746.00
	कुल	**104970.73**	**79536.82**

अनुलग्नक II

"जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता" के संबंध में श्री बस्तीपति नागराजू और श्री बी के पार्थसारथी द्वारा उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †5367 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक II

पीएमएएजीवाई योजना के अंतर्गत कवर किए गए गांवों, स्वीकृत ग्राम विकास योजना (वीडीपी) और 2021-22 से 2024-25 के दौरान आंध्र प्रदेश सहित राज्यों को जारी की गई धनराशि का राज्य-वार विवरण

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	पीएमएएजीवाई के अंतर्गत कुल गांव	पीएसी द्वारा स्वीकृत राशि	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल निर्मुक्ति
				निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	(2021-22 से 2024-25)
1	आंध्र प्रदेश	517	0	0	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	141	0	733.68	0	0	0	733.68
3	असम	1700	34646	8743.02	11538.22	7182.38	5186.19	32649.81
4	बिहार	184	0	774.44	0	0	0	774.44
5	छत्तीसगढ़	4029	31181.4	15595.8	23021.82	0	0	38617.62
6	डीएनडीडी	55	0	0	173.23	0	0	173.23
7	गोवा	21	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	3764	57125.14	15916.78	19401.76	0	0	35318.54
9	हिमाचल प्रदेश	90	1528.5	377.03	288.09	0	0	665.12
10	जम्मू और कश्मीर	302	5950.5	0	932.39	0	0	932.39
11	लद्दाख	132	1019	0	470.525	0	0	470.525
12	झारखंड	3891	8145.52	6531.79	6915.28	0	0	13447.07
13	कर्नाटक	507	7443.7	2139.9	937.48	0	0	3077.38
14	केरल	6	122.38	0	0	61.19	30	91.19
15	मध्य प्रदेश	7307	80674.67	12268.76	27694.54	0	0	39963.3
16	महाराष्ट्र	3605	31425.96	0	13485.5	0	0	13485.5
17	मणिपुर	254	896.72	427.98	295.47	0	0	723.45
18	मेघालय	836	3586.88	0	3342.3	0	0	3342.3
19	मिजोरम	344	6847.47	580.83	1818.605	1112.009	1468	4979.44375
20	नागालैंड	530	10801.4	886.53	2233.97	0	3827.44	6947.94
21	ओडिशा	1653	15950.6	2771.68	1001.24	3044.423	0	6817.3425
22	राजस्थान	4302	30471.94	7224.71	15269.66	0	0	22494.37
23	सिक्किम	62	917.73	0	0	0	0	0

24	तमिलनाडु	167	3220.04	285.32	285.62	855.805	461.37	1888.115
25	तेलंगाना	533	8722.64	2262.18	1681.035	0	1646	5589.215
26	त्रिपुरा	375	7010.72	631.78	904.48	2737.23	0	4273.49
27	उत्तराखंड	64	0	0	0	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	183	0	0	0	0	0	0
29	पश्चिम बंगाल	874	0	0	3495.2	0	0	3495.2
	कुल	**36428**	**347689**	**78499.2**	**135436**	**14993**	**12619**	**241547.66**

अनुलग्नक III

"जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता" के संबंध में श्री बस्तीपति नागराजू और श्री बी के पार्थसारथी द्वारा उठाए गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या †5367 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित अनुलग्नक III

वर्ष 2020-21 के दौरान टीएसएस को एससीए की योजना के तहत आंध्र प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	गतिविधियाँ	स्थान	लाभार्थी	पीएसी द्वारा स्वीकृत राशि
1.	छोटे और मौसमी जल निकायों में मछली पालन (एसीएस में) उद्देश्य: गतिविधियों में 1 एकड़ से कम और 1-5 एकड़ के सभी जल निकायों को स्थानीय परिस्थितियों और क्षमता के आधार पर प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करके वैज्ञानिक मछली उत्पादन में लाना, उत्पादकता और आय को बढ़ाना शामिल है।	राज्य	1305.99	721.19
2.	पाडेरू आईटीडीए क्षेत्र में जेडबीएनएफ के माध्यम से मोटे अनाज को बढ़ावा देना उद्देश्य : मोटे अनाजों का संवर्धन एवं विस्तार परियोजना की कुल लागत 324.21 लाख रुपये है लागत साझा करना भारत सरकार और लाभार्थियों के बीच है	विशाखापत्तनम	324.21	302.32
3.	प्रदर्शन - मोटे अनाज का प्रचार लागत साझाकरण भारत सरकार और लाभार्थियों के बीच है	नेल्लोर		2.25
4.	काजू के क्षेत्र का विस्तार लागत का साझाकरण भारत सरकार और लाभार्थियों के बीच हैं	विजयनगरम		47.25
5.	काजू का कायाकल्प	विजयनगरम		90
6.	जैविक कॉफी परियोजना, चिथापल्ली के प्रसंस्करण और विपणन के लिए एफपीओ को मजबूत करना	विशाखापत्तनम		234.61
7.	गर्भवती महिलाओं के लिए छात्रावासों की स्थापना। कुल (42) छात्रावास- [4 सफलतापूर्वक चल रहे हैं, 18 आंध्र प्रदेश सरकार में प्रस्तावित हैं और 15 भारत सरकार में प्रस्तावित हैं] जिसमें गैर-आवर्ती 11.5 लाख रुपये की दर से और आवर्ती लागत 50.00 लाख रुपये की दर से /वर्ष प्रति छात्रावास शामिल है। परियोजना को भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच साझा किया जाएगा।	जनजातीय क्षेत्र, राज्य		172.50

<table>
<tr><td>8.</td><td>सीताफल का पौधरोपण (160 पौधे/एकड़)। बंड रोपण लाभार्थियों के साथ लागत साझा करना</td><td>पूर्वी गोदावरी</td><td></td><td>9.72</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>कृषि उपकरण (सेकेटर्स और रिचार्जेबल हैंड स्प्रेयर) लाभार्थियों के साथ लागत साझा करना</td><td>पूर्वी गोदावरी</td><td></td><td>11.25</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>मरीजों के आपातकालीन परिवहन के लिए एम्बुलेंस-
कुल इकाई: 5 इकाइयाँ
इकाई लागत: 10.00 लाख रूपये की दर से प्रत्येक
जनजातीय लोगों को चिकित्सा आपातकाल तक पहुँचने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिखरे हुए क्षेत्र और भौगोलिक कठिनाइयों के कारण आदिवासी क्षेत्रों में अधिक एम्बुलेंस की आवश्यकता है। इसलिए, मरीजों के आपातकालीन परिवहन के लिए एम्बुलेंस का प्रस्ताव है।</td><td>जनजातीय क्षेत्र, राज्य</td><td></td><td>45.00</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>टी.डब्लू. आश्रम स्कूलों और मैट्रिकोत्तर छात्रावासों के लिए (6,000) बंकर बेड और टी.डब्लू. आश्रम स्कूलों के लिए (2250) ड्यूल डेस्क की खरीद।
भारत सरकार ने 2016-17 में 16.35 करोड़ रुपये और 2018-19 और 2019-20 के दौरान 9.92 करोड़ रुपये पहले ही मंजूर कर दिए हैं।</td><td>राज्य</td><td></td><td>571.91</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>मॉरीशस किस्म के साथ अनानास का विस्तार</td><td rowspan="2">श्रीकाकुलम</td><td></td><td rowspan="2">1398</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>व्यापक हल्दी विकास परियोजना</td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>कॉफी किसानों की आय में सुधार</td><td rowspan="2">श्रीकाकुलम</td><td></td><td rowspan="2">265</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>अनानास क्षेत्र का विस्तार</td><td></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>आईटीडीए, आरसी वरम में काजू प्रसंस्करण इकाई की स्थापना
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>विवरण</th><th>सांकेतिक लागत (लाख रुपए में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>भूमि विकास</td><td>12.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रसंस्करण/सुखाने/पैकिंग के लिए नागरिक संरचना का निर्माण</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>कच्चे काजू के भंडारण के लिए गोदाम</td><td>78.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>संयंत्र, मशीनरी, विद्युत और स्थापना</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>कच्चे काजू की खरीद-200 मीट्रिक टन</td><td>160.00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>कच्चे माल और तैयार उत्पादों की लोडिंग,</td><td>30.00</td></tr>
</table></td><td></td><td></td><td>570.00</td></tr>
</table>

		अनलोडिंग, कच्चे माल को सुखाने, काजू गिरी के प्रसंस्करण और पैकिंग के लिए श्रमिक (200 दिनों के लिए लगभग 50 सदस्य)					
	7	भूनने के बाद पैकिंग उपकरण	40.00				
	8	आंतरिक परिवहन के लिए वाहन (4 वाहन x प्रत्येक 15.00 लाख रुपये)	60.00				
	9	प्रसंस्करण के लिए वीडीवीके को उपकरण और काजू प्रसंस्करण इकाई में सामग्री का हिस्सा स्थानांतरित करने के लिए उपकरण। (25 वीडीवीके)	50.00				
	10	इकाई चलाने के लिए आवर्ती व्यय	20.00				
		कुल परियोजना लागत	570.00				
कुल							4954.96

*****